

प्रारूप-2

(भाग - 1)

परियोजना का विवरण:- जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)

(क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	जनपद टिहरी गढ़वाल में जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी०)
(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है। पृष्ठ संख्या
(ग) परियोजना की लागत।	70.00 लाख
(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	आरक्षित वनभूमि व नाप भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि उपलब्ध नहीं हैं।
(ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने लिए)	संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	6500 मानव दिवस
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	आरक्षित वनभूमि 1.050 एवं नापभूमि 0.280 हैं। सिविल सोयम भूमि 0.070 है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	-
(क) परिवारों की संख्या	-शून्य--
(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	-शून्य--
(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	-शून्य--
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)	- नहीं--
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	प्रमाण पत्र एवं आगणन संलग्न हैं।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	पृष्ठ संख्या- 2 पर संलग्न विषयक सूची के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न।

प्रयोक्ता एजेन्सी

दिनांक..... स्थान अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग,

नरेन्द्रनगर

नाम मोहर

प्रारूप—3

। २०१९-२०

भाग—2 (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का विवरण:- जनपद टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी तक मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(लम्बाई 2.00 किमी)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति —

(i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र—	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii) जिला वन प्रभाग—	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल—	1.050 — है०
8. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वनभूमि की	आरक्षित वन भूमि — 1.050 है०
	सिविल सोयम वन भूमि — 0.280 है०
	नाप भूमि — 0.070 है०

विधिक प्रस्थिति—

9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा —

(i) वन का प्रकार—	Forest
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व—	३००
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराये जाने के लिये आपेक्षित वृक्षों की परिणाम—	५५
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वनभूमि के लिये कार्यकरण योजना का नक्शा	सलंगन हैं

10. भूक्षरण के लिये पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वनभूमि स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

11. वनभूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की लगभग दूरी—

प्रारम्भ से वनभूमि

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की महत्ता—

13. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की महत्ता—

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा

कोई नहीं
कोई नहीं

नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी, कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्ध किये जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए)

नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी, कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे पूर्वक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से 10.00 किमी के भीतर उवरित्त है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाये)

नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी, कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे पूर्वक्षण के लिये उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि की सीमा से 1.00 किमी के भीतर उवरित्त है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाये)

नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव-जन्तु के अलग या खतरे में अलग किसी की खतरे की प्रजातियाँ हैं यदि है तो उसके ब्यौरे—

नहीं

14. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन

या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि है तो उपावद्ध किये जाने के लिये सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

नहीं

15. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वनभूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें प्रस्तावित भूमि निर्माण हेतु न्यूनतम हैं
 (i) क्या भाग-1 के पैरा-6 और पैरा-7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित वनभूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिये अति न्यूनतम है। हां
 (ii) यदि नहीं तो वनभूमि के सिफारिशों किये गये क्षेत्र जिसके पुर्वक्षण के लिये उपयोग किया जा सकता है। —
16. किये गये अतिकमण के ब्यौरे —
 (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) नहीं
 (ii) यदि हाँ की गई कार्य अवधि अतिकमण में अंतवलित वनभूमि अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही—
 (iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) नहीं
17. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे —
 (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिये पहचान की गई वनभूमि की विधिक प्रस्थिति— सलंगन हैं
 (ii) अवस्थिति सर्वेक्षण या कम्पार्टमेन्ट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिये पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें —
 (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षति के लिये पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50.000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप वन सीमाएं संलग्न हैं। सलंगन हैं
 (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण समय सूची लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं। (हाँ/नहीं)
 (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय उपरिव्यय— Rs- 5.55 Lakh
 (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिये और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान कर किये गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में सम्बन्ध उप वन संरक्षक से प्रमाण पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं) सलंगन हैं
18. वनस्पति और जीव जन्तु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हाँ/नहीं)
19. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिये उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों— मार्ग निर्माण जनहित में किया जाना आवश्यक हैं। प्रस्तावित संरेखण में न्यूनतम वन भूमि आ रही हैं।

स्थान भूज जिला हस्ताक्षर
दिनांक 17-11-2015

नाम

मार्गदर्शक वनविकाशी
शासकीय मुद्रा
वरेन्द्रनगर वन प्रबन्धण
मृति-की-रेहो

प्रारूप—4

भाग —3

20. क्या स्थल जहाँ अंतर्वलित वनभूमि अवस्थित हैं उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किये गये निरीक्षण और सम्प्रेक्षण की तारीख संलग्न की जाय।
21. क्या वन संरक्षक भाग—2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशो से सहमत हैं।
22. विस्तृत कारण के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिये वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों।

स्थान दिनांक हस्ताक्षर नाम वन संरक्षक